न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम/विद्युत अधिनियम, शामली।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–33/2024

अंतर्गत धारा–340(1) सी०आर०पी०सी०

विरेन्द्र पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जिला शामली।

––––––––––प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती सुरेश पत्नी स्व० बिजेन्द्र वर्तमान निवासी न्यू सैनिक विहार कालोनी कंकरखेडा, थाना कंकरखेडा जिला मेरठ ––––––––––विपक्षिया।

दिनांकः27.07.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदक की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार उपस्थित आये। आवेदक **विरेन्द्र पुत्र रामकिशन** की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340(1) सी०आर०पी०सी० कागज सं० 3क प्रस्तुत कर विपक्षिया श्रीमती सुरेश पत्नी स्व० बिजेन्द्र के विरूद्ध झूठे तथ्यों की रिपोर्ट दर्ज कराने एवं सशपथ झूठा बयान देने व झूठा साक्ष्य रचने के सम्बंध में मुकदमा कायम किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340(1) सी०आर०पी०सी० एवं आदेश पत्र पर इस बाबत टिप्पणी अंकित किया है कि **"श्रीमान जी उक्त सत्र परीक्षण में फाईनल बहस पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। प्रार्थी अलग से श्रीमान पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा।"**

अतः मामले के तथ्य परिस्थितियों में वह आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बल ने दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340(1) सी०आर०पी०सी० कागज सं० 3क खण्डित होने योग्य है तथा प्रस्तुत दाण्डिक वाद निस्तारित होने योग्य है।

आदेश

आवेदक **विरेन्द्र पुत्र रामकिशन** की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 340(1) सी०आर०पी०सी० कागज सं० 3क बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक वाद निस्तारित किया जाता है।

(सुरेन्द्र कुमार राय)

J.O.Code–UP1761

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), शामली।